उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-26/2021/2197/92-2-21-37जांच/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 07 अप्रैल, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बरेली में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम मानपुर त्रिलोक, विकास खण्ड-फरीदपुर में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के अधोमानक निर्माण कार्य को ठीक कराने में समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने, अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण न रख पाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने, कार्य निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने, अधोमानक कार्य को स्वीकार कर भुगतान की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2.61 लाख हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-141/2018/2638/92-2-2018-37जांच/2018 दिनांक 16.10.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा के पत्र दिनांक 28.11.2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री मोहन चन्द्र शर्मा के विरूद्व अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से जांच अधिकारी की विवेचना में आरोप सं0-1 को मु0 रू0 0.456 लाख की शासकीय क्षति एवं अधोमानक कार्य कराने हेतु आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-2 को पूर्णरूप से प्रमाणित पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दि0 11.12.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 15.09.2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम मानपुर त्रिलोक वि0ख0-फरीदपुर की सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की शिकायत शासन स्तर पर की गयी, जिसकी जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के कार्यालय पत्रांक-1718/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0-शिका0पत्रा0-29/2015-16 दि0 09-11-2015 द्वारा जॉच हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में तत्का0 सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 07.12.2015 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें गली नं0-1 में सडक से शिवराज के घर तक का सी0सी0 व के0सी0 ड्रेन का कार्य अधोमानक पाया गया। फलस्वरूप अधोमानक कार्य को ठीक कराने में अनुमानित व्यय का मूल्यांकन कराने हेतु सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया। क्षतिग्रस्त कार्य के मूल्यांकन हेतु सहायक अभियंता स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी। कमेटी की आख्या के आधार पर क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक कराने हेतु रू0 2.61 लाख का व्यय होना अवगत कराया गया। श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने एवं अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण न रख पाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हो पाया एवं कार्य निर्धारित समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सीमा से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार अधोमानक कार्य को स्वीकार कर भुगतान की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप शासन को अंकन रू0 2.61 लाख की शासकीय क्षति हुई, जिसके लिये उनको उत्तरदायी पाया गया।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी श्री मोहन चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त अधिरोपित आरोप के संबंध में अपने बचाव उत्तर के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रखण्ड-बरेली में तैनाती के दौरान वर्ष 2013-14 में चयनित 32 लोहिया ग्रामों में से 16 लोहिया ग्रामों के निर्माण कार्य उनके पर्यवेक्षण में पूर्ण कराये गये। उक्त के अतिरिक्त उनके पास प्रखण्ड-सम्भल जो कि बरेली मुख्यालय से लगभग 120 किमी0 की दूरी पर है, का प्रभार भी रहा है। प्रखण्ड-सम्भल में वर्ष 2013-14 में 25 लोहिया ग्रामों के निर्माण कार्य उनके पर्यवेक्षण में पूर्ण काये गये है। चूंकि वहां अन्य किसी सहायक अभिंयता की तैनाती नहीं थी। उनके द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभिंयता को लिखित रूप से एक ही प्रखण्ड में तैनाती हेतु अनुरोध भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप उनके अनुरोध पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उनके पत्राक-354/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/स्थापना/2015-16 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा उनकी तैनाती प्रखण्ड-बरेली से प्रखण्ड- सम्भल को कर दी गयी थी।

उक्त परिस्थितियों में एक सहायक अभियंता द्वारा दो-दो प्रखण्डों में लोहिया ग्रामों की सभी गलियों का पर्यवेक्षण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था, फिर भी उनके द्वारा यथासंभव किया गया। अत: श्री शर्मा द्वारा निर्माण कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के आरोप को अस्वीकार किया है।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

जॉच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष अधिरोपित आरोप के क्रम में दो जनपदों के कार्यो का अधिक मात्रा में कार्यभार होने के कारण पर्यवेक्षण में कमी का आधार को शासकीय हित में उचित नहीं माना। अपचारी अधिकारी के विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2.61 लाख की क्षति के संबंध में समुचित उत्तर नहीं प्राप्त होने हेतु अधोमानक कार्य को स्वीकार किये जाने तथा कुल शासकीय क्षति रू0 2.61 लाख का 50 प्रतिशत रू0 1.305 लाख का 35 प्रतिशत' रू0 0.456 लाख की शासकीय क्षति हेतु अपचारी अधिकारी को दोषी पाया गया है। परन्तु इस सम्पूर्ण क्षति हेतु केवल सहायक अभियंता को दोषी नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष -

आरोप एवं उसके साक्ष्य एवं अपचारी अधिकारी, श्री मोहन चन्द्र जोशी, तत्का0 सहायक अभियंता के प्रत्युत्तर के अनुसार जॉच करने पर श्री शर्मा मु0 रू0 0.456 लाख की शासकीय क्षति एवं अधोमानक कार्य कराने हेतु दोषी है। अत: श्री शर्मा पर यह आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है।

आरोप संख्या-2

मै0 शिव शक्ति कान्ट्रक्शन द्वारा कराये गये कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप न होने के फलस्वरूप श्री मोहन चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम चलित देयक से कमियों के निराकरण कराने तथा अंकन रू0 1.00 लाख की धनराशि रोकी गयी थी। किन्तु उनके द्वारा उसी कार्य को बिना ठीक कराये फर्म के प्रार्थना पत्र पर रोकी गयी धनराशि निकालने की संस्तुति की गयी, जिसके लिये श्री शर्मा को उत्तरदायी पाया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

मै0 शिव शक्ति कान्ट्रक्शन द्वारा कराये गये कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप न होने के फलस्वरूप प्रथम चलित देयक से कमियों के निराकरण हेतु उनके द्वारा अंकन रू0 1.00 लाख की धनराशि रोकी गयी थी। तत्का0 अवर अभियंता, श्री ब्रजेश कुमार सक्सेना द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र पर इंगित कमियों को ठीक करा दिया गया है तथा कार्य संतोषजनक है, के साथ ठेकेदार की रोकी गयी धनराशि निकालने की संस्तुति की गयी, क्योंकि उक्त परिस्थितियों में सभी गलियों के निर्माण कार्यो को देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कारण अवर अभियंता की संस्तुति के आधार पर रोकी गयी धनराशि निकालने की संस्तुति उनके द्वारा कर दी गयी। अत: लगाये गये आरोप को श्री शर्मा द्वारा अस्वीकार करते हुये अवगत कराया गया है कि वे दिनांक 30.04.2016 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

जॉच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी का उक्त कथन उचित नहीं पाया क्योंकि दो जनपदों का कार्यभार होने व कार्य की अधिकता के कारण निरीक्षण नहीं कर पाने पर अवर अभियंता के कथन को सत्य मानकर संस्तुति की गयी को आधार मानक वह अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। जिस कार्य पर कमियों के कारण उनके द्वारा बिल से धनराशि की कटौती की गयी उस कार्य की कमियों को ठीक होने की अवर अभियंता की संस्तुति के उपरांत उनके द्वारा बिना निरीक्षण कर स्वयं सन्तुष्टि के उपरांत रोकी गयी धनराशि का भुगतान करना नियमानुसार शासकीय हित के विपरीत है। जिसके लिये अवर अभियंता के साथ-2 सहायक अभियंता भी दोषी है।

निष्कर्ष

आरोप, उसके साक्ष्य एवं अपचारी सहायक अभियंता के प्रत्युत्तर के अनुसार जॉच करने पर श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त पर यह आरोप स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी, श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त ने अपने अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि उनके विरूद्व अधिरोपित उक्त कुल 2 आरोपों के संबंध में बिन्दुवार उत्तर जॉच अधिकारी को दिया गया था। जांच अधिकारी द्वारा आरोप सं0-1 जो रू0 0.456 लाख की शासकीय क्षति व अधोमानक कार्य हेतु प्रमाणित आरोप संख्या-2 से सहमत नहीं है। श्री शर्मा द्वारा जॉच अधिकारी को दिये गये अपने पूर्व उत्तर को ही संज्ञान लिये जाने का अनुरोध करते हुये प्रमाणित आरोपों पर सहानुभूति विचार करते हुये निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता के विरूद्ध कुल 02 आरोप में से आरोप संख्या-1 जो उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 0.456 लाख (रू0 पैतालिस हजार छ: सौ मात्र) से संबंधित था को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप संख्या-2 के संबंध में श्री शर्मा के दिनांक 30.04.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही पाया गया, किन्तु उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 0.456 लाख की वसूली सिविल लायवेल्टी सूट दाखिल कर किये जाने तथा 02 प्रतिशत की पेंशन कटौती अस्थायी रूप से 02 वर्ष के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिये किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 21.01.2021 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की सहमति मॉगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 17.03.2021 द्वारा निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

" श्री मोहनचन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 0.456 (रू0 पैतालिस हजार छः सौ मात्र) की वसूली 05 प्रतिशत पेंशन से कटौती कर तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की सम्पूर्ण वसूली न हो जाय।"

4- अतएव लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के दृष्टिगत श्री मोहन चन्द्र शर्मा, सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-141/2018/2638/ 92-2-18-37जांच/2018 दिनांक 16.10.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 0.456 (रू0 पैतालिस हजार छः सौ मात्र) की वसूली 5 प्रतिशत पेंशन से कटौती तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की सम्पूर्ण वसूली न हो जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2021/2197(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in